न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 71/2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1— श्री धमेंद्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, प्रबन्धक (खाद्य कारोबारकर्ता)—Refreshment Stall-07 (Between Piller no—15/16), M/s Sai Balaji food corpoation, PF no-2/3, Railway Station-Ajmer-305001 (स्थाई पता—Chobey ka Bag, Chobey ka Kinara, Ward no. 12, Bhind, District Bhind (MP)-477001)

....खाद्य कारोबारकर्ता/प्रबन्धक

2— Sh Putti Srinivass Rao S/o Sh Putti Madhusudana Rao-Properitor M/s Sai Balaji food corpoation, Refreshment Stall-07 (Between Piller no—15/16), PF no-2/3, Railway Station-Ajmer-305001 (Correspondence address-Krishna Kripa, 03, LG-06, Subhashnagar, Shastri Nagar-Jaipur-302016)

....मैसर्स/लाईसेन्सी

3— Refreshment Stall-07 (Between Piller no—15/16), M/s Sai Balaji food corpoation, PF no-2/3, Railway Station-Ajmer-305001

....मैसर्स—फर्म

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं।

—: आदेश :—

दिनांक—03.01.2024

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ—Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.11.2022 को 12.00 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–Refreshment Stall-07 (Between Piller no—15/16), M/s Sai Balaji food corpoation, PF no-2/3, Railway Station-Ajmer-305001 पर पहुँचे श्री धमेंद्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को खाद्य पदार्थ–Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ–Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil में मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जॉच हेतु 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ–Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil वास्ते नमूना जाँच हेतु 300/– रूपये श्री धमेंद्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह को नगद देकर गवाह श्री विनोद कुमार, सामान्य सहायक, अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उ0प0 रेल्वे अजमेर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री धमेंद्र सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ–Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil को 500–500 ग्राम चार बराबर बराबर भागों में बांटकर चार लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक NWR–999 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी, उ0प0 रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैबरिपोर्टस/एनडब्ल्यूआर–999 दिनांक 07.12.2022 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस 1339/एक्ट/2022/164 दिनांक 30.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया खाद्य पदार्थ–Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 30.10.2023 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 30.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री धमेंद्र सिंह व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 03.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 श्री धमेंद्र सिंह उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा रेल्वे स्टेशन पर स्टॉल संचालित की जा रही है जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूड़ी का नमूना लिया गया था जो सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। उनके द्वारा पूड़ी सोयाबीन तेल में ही

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पकाई जाती है तथा उचित पकवान एवं खाद्य सामग्री बेची जाती है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। अतः गलती को क्षमा कर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 श्री धमेंद्र सिंह ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ–Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ–Poorie-Prepared in Refined Soyabean Oil में निर्धारित मूल्यों का ध्यान नहीं रखा गया है जो आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने उन पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनःरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री धमेंद्र सिंह को रु 5100/– (अक्षरे पांच हजार एक सौ रूपये मात्र) एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 Sh. Putti Srinivass Rao व M/s Sai Balaji food corpoation को रूपये 51000/– (अक्षरे इक्यावन हजार रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण अभियुक्त उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 03.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2024 / 46-50 दिनांक : 8-1-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर

3- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

4- श्री धमेंद्र सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, प्रबन्धक (खाद्य कारोबारकर्ता) Refreshment Stall-07 (Between Piller no—15/16), M/s Sai Balaji food corpoation, PF no-2/3, Railway Station-Ajmer-305001

5- Sh Putti Srinivass Rao S/o Sh Putti Madhusudana Rao-Properitor M/s Sai Balaji food corpoation, Refreshment Stall-07 (Between Piller no—15/16), PF no-2/3, Railway Station-Ajmer-305001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर